क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि वादीगण को ब0हि0व0 चक नं0 7 एसबीएन के प0न0 202/204 मु0 44 किला नं0 23, 24, 25/0.759 है0, प0न0 201/204 मु0 45 किला नं0 24, 25/0.506 है., प0न0 201/205 मु0 46 किला नं0 2, 9,12, 19, 22/1.265 है0 तथा चक नं0 10 एसबीएन के प0न0 186/207 मु0 68 किला नं0 19, 20 प.नं. 185/207 मु0 69 किला नं0 16, प0न0 186/207 मु0 68 किला नं0 3,4,5,7,8,13,14 के तथा प्रतिवादी सं0 10 लालचन्द को चक नं0 10 एस.बी.एन के प0न0 185/207 मु0 69 किला नं0 17,18 प्रतिवादी सं0 11 हुणताराम चक नं.10 एसबीएन के प0न0 187/206 मु0 54 किला नं0 19,22 प्रतिवादी सं0 12 भूराराम चक नं0 10 एसबीएन के प0न0 187/206 मु0 54 किला नं0 20,21, प्रतिवादी सं0 13 वेदप्रकाश चक नं0 10 एसबीएन के प0न0 186/206 मु0 53 किला नं0 17,25, प्रतिवादी सं0 14 सुभाषचन्द्र उर्फ साजनराम को चक नं0 10 एसबीएन के प0न0 186/206 मु0 53 किला नं0 15 व 16, प्रतिवादीया सं0 15 शान्तिदेवी चक नं0 10 एसबीएन के प0न0 186/206 मु0 53 किला नं0 23 व 24 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वादीगण की आराजी का खाता उपरोक्त अनुसार अलग से कायम कर रकम राज अलग से की जाकर चक नं0 10 एसबीएन के खाता सं0 158 व खाता सं0 9 से रामप्रताप प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन व चक नं0 7 एसबीएन के खाता सं0 133 से प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है । इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/7/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner